पत्र संख्या–विधि अनुभाग/2018–19/ 445 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: नवम्बर 27, 2018

समस्त ज़ोनल एडीशनल कमिश्नर/
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विदित है कि काल बाधित कर निर्धारण वर्ष 2015–16 के समस्त वादों का निस्तारण दिनांक 31.3.2019 तक किया जाना है। मुख्यालय स्तर पर वर्ष 2015–16 के वादों के निस्तारण की समीक्षा पर पाया गया है कि दिनांक 01.04.2018 को कर निर्धारण हेतु लंबित कुल वादों की संख्या 3,15,262 थी, जिसके सापेक्ष दिनांक 31.10.2018 तक मात्र 56,102 (17.79%) वादों का ही निस्तारण किया गया है व दिनांक 01.11.2018 को कुल लंबित वादों की संख्या 2,59,160 है। स्पष्ट है कि वादों के निस्तारण की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है व वर्तनाम वित्तीय वर्ष के अवशेष मात्र चार माह में 2,59,160 (लगभग 83%) वादों का निस्तारण किया जाना है।

परीक्षण पर यह पाया गया है कि एक ही लोकेशन/जनपद में तैनात विभिन्न कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर पर लंबित वादों की संख्या में भी असामानता की स्थिति है। जहां एक ओर कुछ कर निर्धारण अधिकारियों पर कार्य का दबाव अधिक है तो वहीं दूसरी ओर अन्य कर निर्धारण अधिकारियों के पास पर्याप्त संख्या में निस्तारण योग्य वाद उपलब्ध नहीं है। उदाहरणार्थ, गौतमबुद्ध नगर ज़ोन में कार्यालय, डिप्टी कमिश्नर नोएडा, खण्ड–10 में कुल लंबित वादों की संख्या 833 है जबकि कार्यालय, डिप्टी कमिश्नर नोएडा, खण्ड–11 में मात्र 146 वाद निस्तारण हेतु अवशेष हैं। इसी प्रकार अयोध्या ज़ोन में जनपद अयोध्या, डिप्टी कमिश्नर खण्ड–1 के स्तर पर 216 वाद लंबित हैं तो उसी जनपद के कार्यालय, डिप्टी कमिश्नर खण्ड–3 में कर निर्धारण हेतु अवशेष वादों की संख्या शून्य है। अन्य लोकेशन/स्थानों पर भी ऐसी ही स्थिति पायी गयी है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति में मात्र 4 माह शेष हैं जिसमें वित्तीय वर्ष 2015–16 से सम्बन्धित कुल 2,59,160 लंबित वादों का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। स्वाभाविक है कि अल्प समयावधि में कार्य के दबाव के रहते वादों का गुणवत्तापरक निस्तारण नहीं हो पाता व वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय एक पक्षीय आदेश पारित किये जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में, जहां एक ओर राजस्व संग्रह पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अतः गुणवत्तापूर्ण व समयान्तर्गत कर निर्धारण सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रत्येक ज़ोन में एक ही स्थल/लोकेशन/जनपद में तैनात कर निर्धारण अधिकारियों (परस्पर डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी) के मध्य वाद स्थानांतरण की कार्यवाही को पारदर्शी तरीके से किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से एक लोकेशन/जनपद में तैनात कर निर्धारण अधिकारियों के मध्य लंबित वादों के

हस्तांतरण हेतु संलग्न प्रक्रियानुसार ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार किया गया है। उक्त प्रक्रिया का परीक्षण मुख्यालय पर गठित वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की समिति द्वारा किया गया है तथा उक्त आधार पर स्थानांतरित वादों का सॉफ्टवेयर/तकनीक की दृष्टि से परीक्षण मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग द्वारा भी कर लिया गया है।

अतः उक्त प्रक्रिया के आधार पर चयनित किये गये वादों की सूची समस्त ज़ोनल एडीशनल कमिश्नर को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। सभी सम्बन्धित इस सूची का अपने स्तर पर परीक्षण कर एक ही स्थल/लोकेशन पर तैनात एक ही स्तर के कर निर्धारण अधिकारियों के मध्य उ0प्र0 मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम के नियम 71(2) के अन्तर्गत वाद/वादों का स्थानान्तरण सुनिश्चित कर मुख्यालय को दिनांक 30.11.2018 तक अवगत कराने का कष्ट करें। यदि किसी खण्ड में कर निर्धारण अधिकारी तैनात नहीं हैं तो उस खण्ड के लम्बित वाद समान लोकेशन पर तैनात अन्य अधिकारियों के मध्य उपरोक्त प्रक्रियानुसार आवंटित किये जायें।

उपरोक्तानुसार पारदर्शी कार्यवाही के परिणामस्वरूप न केवल गुणवत्तापूर्ण कर निर्धारण का सकारात्मक प्रभाव प्रदेश के राजस्व संग्रह पर पड़ेगा, बल्कि प्रदेश के व्यापारियों को भी वित्तीय वर्ष 2015–16 से सम्बन्धित उनके वादों के ससमय निस्तारण से किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

संलग्नकःयथोक्त।

27/11/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।